राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 40(77)ग्रावि / नरेगा / con.pwd / 58433 / 2014 जयपुर, दिनांक 13 JUN 2017

जिला कलेक्टर सह जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा
समस्त राजस्थान।

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सडक निर्माण कार्यो के तहत बर्म्स निर्माण / मरम्मत कार्य बाबत।

सदर्भः– विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 08.05.2015 तथा अनुभाग–5 का स्थायी आदेश संख्या 31 / 2017 दिनांक 13.04.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्रामीण संयोजकता के तहत सडक निर्माण का कार्य अनुमत गतिविधि है। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत निर्मित परिसम्पतियों के रख–रखाव का कार्य तथा अन्य योजनाओं में निर्मित ऐसी परिसम्पतियां जो कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अनुमत गतिविधियों में सम्मिलित है, के रख–रखाव का कार्य योजनान्तर्गत कराया जा सकता है।

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सडक निर्माण कार्यो के तहत बर्म्स निर्माण / मरम्मत के संबन्ध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :–

1. संदर्भित पत्र दिनांक 08.05.2015 के बिन्दु संख्या 6 के उपबिन्दु 8 के अनुरूप पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित सडकों पर संवेदक की गारंटी सीमा पूर्ण होने के उपरान्त उक्त कार्य कराए जा सकते है।
2. सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा निर्मित एवं उनके अधीन सडकों पर भी उक्त कार्य नियमानुसार कराए जा सकते है।
3. संबन्धित ग्राम पंचायत योजनान्तर्गत कार्यकारी एजेन्सी के रूप में बिन्दु संख्या 1 एवं 2 पर वर्णित सडकों के उक्त कार्य करा सकती है परन्तु यह सुनश्चित किया जावे कि कार्य में दोहरापन नही हो अर्थात यही कार्य अन्य संस्था द्वारा अपने योजना मद में नही कराए जावे।
4. कार्य की नरेगा सॉफ्ट में एन्ट्री ग्रामीण संयोजकता के तहत उपलब्ध विकल्प "restoration of roads" के तहत की जावे।

उपरोक्तानुसार निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

भवदीय
(मनीष चौहान)
आयुक्त एवं सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग।
3. शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास विभाग (अनुभाग–5)।
5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
6. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान बाड़मेर।

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस